महंगाई से राहत की गारंटी पाकर चेहरे मुस्कुराए

कोटा, (निसं)। राज्य सरकार द्वारा शुरू किए गए महंगाई राहत कैम्पों में जिले के निवासी राज्य सरकार की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं से लाभान्वित होकर महंगाई से राहत की गारंटी पा रहे हैं और राज्य सरकार को धन्यवाद दे रहे हैं, ये शिविर 30 जून तक चलेंगे। जिला कलक्टर ओपी बुनकर ने बताया कि मंगलवार को जिले में सभी पंचायत समितियों एवं निकाय क्षेत्र में मंहगाई राहत कैम्प लगाए गए। साथ ही प्रशासन गांवों के संग एवं शहरों के संग अभियान के शिविर भी लगाए गए जिनमें आमजन की समस्याओं का मौके पर ही निस्तारण किया गया। महंगाई राहत कैम्प राज्य सरकार की चुनिंदा 10 जन कल्याणकारी योजनाओं के बढ़े हुए लाभ लेने के लिए पंजीकरण किए जा रहे हैं। जबकि प्रशासन शहरों एवं गांवों के संग अभियान में विभिन्न विभागों से संबंधित समस्याओं का समाधान एक छत के नीचे किया जा रहा है।

सांगोद में महंगाई राहत कैम्प में योजनाओं के लाभ के लिए गारंटी कार्ड के साथ महिलाएं खुश नजर आए।

एक साथ 5-5 योजनाओं की गारंटी:- महंगाई राहत शिविरों में राज्य सरकार की 10 फ्लैगशिप योजनाओं में पात्रता के आधार पर प्रत्येक परिवार का पंजीयन किया जा रहा है। मंगलवार को आयोजित किए गए शिविरों में एक परिवार को एकसाथ 5-5 योजनाओं के लाभ की गारंटी के प्रमाण-पत्र सौंपे गए। चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना, 100 यूनिट बिजली फ्री, मुख्यमंत्री पेंशन योजना एवं अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना में एक परिवार को एक साथ पंजीयन का लाभ देकर गारंटी कार्ड प्रदान किए जा रहे हैं।

जिला कलेक्टर ने किया निरीक्षण:- जिला कलेक्टर ने महंगाई राहत कैम्प का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने नगर निगम कोटा उत्तर के भीमगंजमण्डी क्षेत्र में स्थित सेक्टार कार्यालय में चल रहे कैम्प का निरीक्षण कर पंजीयन प्रक्रिया की जानकारी ली। उन्होंने आम लोगों को आव्हान किया कि आवश्यक दस्तावेजों के साथ पंजीयन कराएं तथा अनावश्यक भीड़ से बचते हुए 30 जून तक किसी भी कार्य दिवस में स्थाई कैम्पों में जाकर भी पंजीयन करा सकेंगे।

30 जून तक स्थाई शिविर चलेंगे:- जिला कलेक्टर ने बताया कि जिले में 60 स्थानों पर महंगाई राहत के स्थाई कैम्प स्थापित किए जाएंगे जिनको शुरू करने का कार्य चरणबद्ध रूप से किया जा रहा है। इन कैम्पों में 30 जून तक कोई भी नागरिक कार्य दिवस में अपना पंजीयन करा सकेंगे।

उन्होंने आम लोगों से आव्हान किया है कि प्रति दिवस अपने शहरी क्षेत्र के वार्डों अथवा ग्राम पंचायतों में आयोजित होने वाले शिविरों में पंजीयन कराएं। नजदीकी क्षेत्र के शिविरों में उपस्थित नहीं होने पर स्थाई शिविरों में किसी भी कार्य दिवस जाकर अपना पंजीयन करा सकेंगे।

आज यहां लगेंगे महंगाई राहत शिविर:- जिला कलेक्टर ने बताया कि प्रशासन गांव के संग अभियान व महंगाई राहत शिविर की श्रृंखला में 26 व 27 अप्रेल को पंचायत समिति लाड़पुरा की ग्राम पंचायत डोल्या, सुल्तानपुर की ग्राम पंचायत कोटसुवां, ईटावा की बालूपा, सांगोद की कुराड़ एवं खैराबाद की ग्राम पंचायत कुदायला में शिविर आयोजित किये जायेंगे। जिला कलक्टर ने बताया कि नगर निगम दक्षिण में 26 व 27 अप्रेल को वार्ड संख्या 23 का शिविर स्थल सेक्टर कार्यालय के पास मोखापाड़ा, वार्ड संख्या 18 का पुलिस चौकी के पास बेरक सी व वार्ड संख्या 5 का भीतरिया कुण्ड शिवपुरा में आयोजित किया जाएगा।

इसी प्रकार नगर पालिका क्षेत्र ईटावा में वार्ड संख्या 3 का शिविर अम्बेडकर भवन बायपास रोड़ इटावा, सांगोद में वार्ड संख्या 6 का ताखाजी महाराज का प्रांगण सांगोद, कैथून में वार्ड संख्या 2 का पुराना नगरपालिका भवन के सामने कैथून, रामगंजमण्डी में वार्ड संख्या 3 व 4 का सामुदायिक भवन इन्द्रप्रस्थ कॉलोनी एवं नगर निगम उत्तर में 27 व 28 अप्रेल को वार्ड संख्या 50 का संत तुकाराम सामुदायिक भवन कुन्हाड़ी, वार्ड संख्या 25 का भीमगंजमण्डी सेक्टर कार्यालय व वार्ड संख्या 13 का डीसीएम सेक्टर कार्यालय में महंगाई राहत कैम्प आयोजित किए जाएंगे।

नगर पालिका सुल्तानपुर में वार्ड संख्या 2 का राजकीय संस्कृत माध्यमिक विद्यालय सुल्तानपुर में शिविर आयोजित किये जाएंगे। जिला कलक्टर ने बताया कि इनके अलावा स्थाई शिविर भी लगाए जा रहे हैं। महंगाई राहत कैम्पों से संबंधित जानकारी टोल फ्री नम्बर 181 एवं महंगाई राहत कैम्प की वेबसाइट पर प्राप्त कर सकते हैं।

जेईई-एडवांस्ड : 2023
विदेशी विद्यार्थियों व प्रवासी भारतीयों के लिए आवेदन प्रारंभ

कोटा, (निसं)। देश की सबसे प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा जेईई एडवांस्ड जिसके माध्यम से देश की 23 आईआईटी की लगभग 16 हजार 538 सीटों पर प्रवेश मिलता है, यह परीक्षा पूर्णत: कम्प्यूटर बेस्ड 4 जून को सुबह 9 से 12 एवं दोपहर 2.30 से 5.30 के मध्य संपन्न होगी। जनवरी व अप्रैल जेईई मेन परीक्षाओं द्वारा चुने हुए शीर्ष 2 लाख 50 हजार विद्यार्थी जो जेईई एडवांस्ड परीक्षा देने के लिए पात्र घोषित किये जायेंगे जिसमें सामान्य श्रेणी के 1,01,250, सामान्य ईडब्ल्यूएस श्रेणी के 25,000, ओबीसी के 67,500,एससी के 37,500 एवं एसटी के 18,750 विद्यार्थी शामिल हैं।

विदेशी नागरिकता व प्रवासी भारतीय वाले विद्यार्थियों के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ हो चुके है,आवेदन करने की अंतिम तिथि 7 मई तक है।

कॅरियर काउंसलिंग एक्सपर्ट अमित आहूजा ने बताया की विदेशी नागरिकता वाले स्टूडेंट्स को जेईई-एडवांस्ड परीक्षा देने के लिए जेईई-मेन परीक्षा देने की आवश्यकता नहीं है, वे सीधे ही जेईई-एडवांस्ड परीक्षा के लिए आवेदन कर सकते है। सभी

- **सात मई तक आवेदन का मौका**

विदेशी विद्यार्थियों को जेईई-एडवांस्ड देने के लिए चुने हुए शीर्ष 2 लाख 50 हजार स्टूडेंट्स के अतिरिक्त लिया जायेगा। इन स्टूडेंट्स को आईआईटी के सीट आवंटन में ओपन कैटेगरी से सभी सीटें मिलकर अतिरिक्त 10 प्रतिशत सीटों पर सीटें आवंटित की जाएगी।

आहूजा ने बताया की विदेशी विद्यार्थियों के लिए जेईई-एडवांस्ड परीक्षा का आवेदन शुल्क सार्क देशों के लिए 90 डॉलर तथा अन्य देशों के लिए 180 डॉलर रखा गया है।

जेईई-मेन के आधार पर जेईई-एडवांस्ड देने की पात्रता रखने वाले विद्यार्थियों के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 30 अप्रैल से 7 मई के मध्य करवाया जायेगा। इन विद्यार्थियों के लिए आवेदन शुल्क सामान्य व ओबीसी श्रेणी के छात्रों के लिए 2900 रुपये, एससी, एसटी, शारीरिक विकलांग छात्रों एवं सभी वर्गों की छात्राओं के लिए 1450 रुपये रखा गया है। प्रवेश पत्र 29 मई को जारी कर दिये जायेंगे। जेईई एडवांस का परीक्षा परिणाम 18 जून को घोषित किया जायेगा।

राजस्थान आवासन मण्डल कोटा वृत्त कोटा

क्रमांक 5083 — जाहिर आम सूचना — दिनांक - 28.3.23

आवास संख्या 2/64 गणेश तालाब कोटा का आवंटन मंडल द्वारा श्री राम सिंह पुत्र श्री बहादुर सिंह को किया गया। इस आवास का पंजीयन श्री राम सिंह पुत्र श्री बहादुर सिंह द्वारा दिनांक 15.10.1992 को अपने पक्ष में करवाया जा चुका है। पंजीयन उपरांत श्री राम सिंह पुत्र श्री बहादुर सिंह द्वारा उक्त आवास का बेचान जरिये बयनामा आलेखित कर दिनांक 29.10.1992 को श्रीमती सावित्री देवी पत्नी श्री बालकृष्ण अग्रवाल को किया गया। श्रीमती सावित्री देवी पत्नी श्री बालकृष्ण अग्रवाल द्वारा उक्त आवास का बेचान जरिये विक्रय पत्र आलेखित कर दिनांक 28.12.1998 को श्री नवीन भटनागर पुत्र श्री किशन शरण भटनागर को किया गया। श्री नवीन भटनागर पुत्र श्री किशन शरण भटनागर द्वारा उक्त आवास का बेचान जरिये बयनामा आलेखित कर दिनांक 15.07.2000 को श्री पूसाराम डेलिया पुत्र श्री लीलाराम डेलिया को किया गया। श्री पूसाराम डेलिया पुत्र श्री लीलाराम डेलिया द्वारा अपने जीवनकाल में एक वसीयत नामा आलेखित कर दिनांक 10.07.2001 को अपनी पत्नी श्रीमती इन्द्रा देवी डेलिया पत्नी श्री पूसाराम डेलिया के पक्ष में की गई। श्री पूसाराम डेलिया पुत्र श्री लीलाराम डेलिया की मृत्यु दिनांक 07.06.2002 को हो चुकी है। श्रीमती इन्द्रा देवी डेलिया पत्नी स्व. श्री पूसाराम डेलिया द्वारा इस आवास से संबंधित समस्त कार्य करने हेतु अपनी ओर से दिनांक 12.07.2005 को श्री लोकेश कुमार पुत्र श्री रुपचन्द को मुख्तारनामा आम धारक नियुक्त किया गया। श्री लोकेश कुमार पुत्र श्री रुपचन्द द्वारा मुख्तारनामा आम धारक की हैसियत से इस आवास का बेचान जरिये विक्रय पत्र आलेखित कर दिनांक 25.02.2010 को श्री राज कुमार पुत्र स्व. श्री नेतन दास को किया गया। श्री राज कुमार पुत्र स्व. श्री नेतन दास द्वारा उक्त आवास का बेचान जरिये विक्रय पत्र आलेखित कर दिनांक 01.05.2013 को श्रीमती दमयन्ती शुक्ला पत्नी श्री नन्द किशोर शुक्ला को किया गया। श्रीमती दमयन्ती शुक्ला पत्नी श्री नन्द किशोर शुक्ला द्वारा इस कार्यालय में प्रतिवेदन प्रस्तुत कर उक्त आवास के मंडल अभिलेख में अपना नाम विक्रय पत्र के आधार पर दर्ज करने हेतु आवेदन किया गया।

अतः उक्त आवास को विक्रय पत्र के आधार पर श्रीमती दमयन्ती शुक्ला पत्नी श्री नन्द किशोर शुक्ला के नाम मंडल अभिलेख में दर्ज करने में किसी भी पक्षकार/व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो 15 दिवस के अन्दर इस कार्यालय को सूचित करें। अन्यथा यह मानते हुये कि उक्त आवास के मंडल अभिलेख में विक्रय पत्र के आधार पर श्रीमती दमयन्ती शुक्ला पत्नी श्री नन्द किशोर शुक्ला का नाम दर्ज किये जाने में किसी भी व्यक्ति/पक्षकार को कोई आपत्ति नहीं है। उक्त आवास के मंडल अभिलेख में विक्रय पत्र के आधार पर श्रीमती दमयन्ती शुक्ला पत्नी श्री नन्द किशोर शुक्ला के नाम मंडल अभिलेख में दर्ज कर दिया जावेगा।

उप आवासन आयुक्त राजस्थान आवासन मण्डल, कोटा वृत्त कोटा

विश्व मलेरिया दिवस पर कार्यक्रम आयोजित

कोटा, (निसं)। चिकित्सा विभाग की ओर से मंगलवार को जिलेभर में विश्व मलेरिया दिवस मनाया गया। चिकित्सा संस्थानों पर मलेरिया सहित मच्छर जनित अन्य बीमारियों डेंगू, चिकनगुनिया रोग के लक्षण, बचाव-उपचार के बारे में लोगों को जागरूक किया और रोकथाम संबंधी एंटी लार्वा गतिविधियां की गई।

सीएमएचओ डॉ जगदीश सोनी ने बताया कि मलेरिया से बचाव के प्रति लोगों में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर वर्ष 25 अप्रेल को विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष की थीम "टाइम टू डिलीवर जीरो मलेरिया इन्वेस्ट, इनोवेट, इम्पलीमेंट" पर जिले में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। डिप्टी सीएमएचओ हैल्थ डॉ घनश्याम मीना ने बताया कि इस अवसर पर मंगलवार को अस्पतालों में जागरूकता आईईसी कॉर्नर बनाकर पोस्टर, बेनर व लार्वा का प्रदर्शन किया गया। जिलेभर में रैलियां निकालकर लोगों को मलेरिया से बचाव का संदेश दिया गया।

चिकित्सा संस्थानों पर स्वास्थ्यकर्मी व आमजन को मलेरिया रोकथाम में सहयोग की शपथ दिलाई गई। स्वास्थ्य भवन में भी सीएमएचओ डॉ जगदीश सोनी ने कार्यालय के पूरे स्टॉफ को शपथ दिलाई। शहर में एएनएम ट्रेनिंग सेंटर से भी नर्सिंग छात्राओं की जागरूकता रैली निकाली गई। डिप्टी सीएमएचओ डॉ मीना ने बताया कि चिकित्सा विभाग की टीमों ने घर-घर सर्वे कर एंटी लार्वा गतिविधियां की।

- **बीमारियों से बचाव का संदेश दिया**

इस दौरान बुखार के मरीजों की ब्लड स्लाईड भी ली। साथ ही कोविड-19 व मौसमी बीमारियों के प्रति हाई रिस्क ग्रुप को संवेदनशील करते हुए सोर्स रिडक्शन यथा कूलर, टंकियों, गमले, परिण्डों आदि की जांच की गई और लार्वा मिलने पर उसे नष्ट किया गया। मलेरिया के लक्षण-सीएमएचओ डॉ सोनी ने बताया कि अचानक तेज सर्दी लगकर बुखार आना, पसीना आकर बुखार कम होना, सिर दर्द मलेरिया रोग के प्रमुख लक्षण हैं। ये लक्षण दिखने पर रोगी को तुरंत नजदीकी चिकित्सा संस्थान पर जाकर चिकित्सक से परामर्श लेना चाहिए।

मलेरिया का कारण:- एंटोमोलोजिस्ट/कीट विज्ञानी डीपी चौधरी ने बताया कि मलेरिया एक प्लाज्मोडियम नामक परजीवी से होता है जो कि एनाफ्लीज जाति की मादा मच्छर के काटने से मनुष्यों मे फैलता है। यह मादा मच्छर साफ पानी में एक बार में 100 से 150 तक अण्डे देती है। दो-तीन दिन में अण्डे से लार्वा, बनता है और फिर 4-5 दिनों में लार्वा से प्यूपा और उसके एक दो दिन बाद व्यस्क मच्छर बन जाता है। व्यस्क होने के बाद मच्छर दो से तीन सप्ताह तक ही जीवित रह पाता है।

रोकथाम व बचाव के उपाय:- सीएमएचओ डॉ जगदीश सोनी व डिप्टी सीएमएचओ हैल्थ डॉ घनश्याम मीना ने आमजन से अपील की है कि मलेरिया, डेंगू व चिकनगुनिया जैसी मच्छर जनित बीमारियों से बचाव के लिए घरों के आस-पास अनावश्यक पानी एकत्र ना होने दें, घरों में पानी की सभी टंकियो एंव जल पात्रों को हमेशा ढक कर रखें। घर की टंकियां, कूलर, पक्षियों के परिण्डे आदि को सप्ताह में एक बार रगड़कर साफ करना चाहिए। पानी के बर्तनों को भरने से पहले उन्हे साफ करें। टायर, नारियल के खोल व अन्य कबाड़ो में पानी एकत्र नही होने दें, घरों में मच्छरदानी का प्रयोग करें, घरों के दरवाजे खिड़कियों में मच्छरों के प्रवेश को रोकने वाली जाली का उपयोग करें। शरीर को पूरी तरह ढकने वाले कपड़े पहनें। मलेरिया रोग के लक्षण दिखने पर चिकित्सक से परामर्श लेवें एवं खून की जांच करावे।

394 पट्टों का वितरण हुआ

कोटा, (निसं)। नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन मंत्री शांति धारीवाल की पहल पर कोटा में प्रशासन शहरों के संग अभियान के तहत लगातार वार्ड वार्ड शिविर आयोजित कर आमजन को उनके भूखंड व आवासों का स्वामित्व प्रदान किया जा रहा है शिविरों के माध्यम से एक ही स्थान पर सभी सुविधाओं को उपलब्ध करवाते हुए आवेदकों को पट्टे बनाकर वितरित किए जा रहे हैं। कोटा उत्तर निगम के वार्ड 2, 28, और 51 में आयोजित हुए दो दिवसीय शिविर में 394 पट्टों का वितरण किया गया। न्यास सचिव राजेश जोशी ने बताया कि कोटा उत्तर निगम के वार्ड नंबर 28 का शिविर बापू कॉलोनी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर आयोजित हुआ।

कार्यालय नगर विकास न्यास, कोटा

क्रमांक:-एफ-15/कृ.भू.रू./2023/627 — विज्ञप्ति — दिनांक:-25.4.2023

सर्व साधारण को जर्ये विज्ञप्ति सूचित किया जाता है कि ग्राम बोरखेडा में स्थित कृषि भूमि योजना महात्मा गांधी खसरा नं. 211 में स्थित भूखंड संख्या 22 का पट्टा जारी करने हेतु आवेदक अनिल भट्ट पुत्र स्व. रामनिवास भट्ट निवासी गली नं. 10-ए महात्मा गांधी कालोनी कोटा द्वारा आवेदन प्रस्तुत किया गया है। आवेदक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज अनुसार 36+30/2x49'5"+69'7"=1966.8 वर्गफीट का पट्टा चाहा गया है।

अत: अनिल भट्ट पुत्र स्व. श्री रामनिवास भट्ट के पक्ष में पट्टा जारी किये जाने में यदि किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो अन्दर 7 योम कार्यालय में उपस्थित होकर अथवा लिखित में अद्योहस्ताक्षरकर्ता को प्रस्तुत करें। मियाद गुजर जाने के बाद आपत्ति मान्य नही होगी।

उपसचिव नगर विकास न्यास, कोटा

कार्यालय नगर विकास न्यास, कोटा

क्रमांक:-एफ11/ विक्रय/2023/337 — विज्ञप्ति — दिनांक:- 24.4.23

कार्यालय नगर विकास न्यास कोटा द्वारा भूखंड संख्या 213 कॉर्नर योजना टैगोर नगर आवासीय योजना का आवंटन न्यास के पत्र क्रमांक 1971 दिनांक 09.08.2005 द्वारा श्रीमती शीला देवी पत्नी श्री कन्हैयालाल को आवंटित किया गया था। आवंटी श्रीमती शीला देवी पत्नी श्री कन्हैयालाल की मृत्यु दिनांक 14.09.2013 को हो गई है। मृत्यु के उपरांत आवंटी के पुत्र श्री दिलीप कुमार पुत्र श्री कन्हैयालाल द्वारा शपथ पत्र, रजिस्टर्ड हक त्याग पत्र आई.डी. एवं मृत्यु प्रमाण पत्र के साथ उक्त आवास/भूखंड के नाम हस्तान्तरण हेतु आवेदन किया है।

अत: जरिये आम सूचित किया जाता है कि जिस किसी को भी उक्त आवास/भूखंड का हस्तानांतरण किए जाने में कोई आपत्ति हो तो अन्दर 7 दिवस में अपनी आपत्ति दर्ज करावे अन्यथा मियाद गुजरने के पश्चात उक्त के स्वामित्व हस्तांतरण की स्वीकृति पुत्र श्री दिलीप कुमार पुत्र श्री कन्हैयालाल के नाम जारी कर दी जायेगी।

उपसचिव नगर विकास न्यास, कोटा

एआईआरएफ के शताब्दी महोत्सव की हुई शुरूआत रेलकर्मियों ने दुनियाभर में जश्न मनाया

कोटा, (निसं)। ऑल इंडिया रेलवेमेन्स फेडरेशन (एआईआरएफ) 99वें स्थापना दिवस एवं शताब्दी महोत्सव को कल भारतीय रेल के सभी मण्डलों के साथ-साथ दुनिया के कई देशों में उल्लासपूर्वक मनाकर शताब्दी वर्ष का आगाज किया गया है।

यूनियन के सहायक मण्डल सचिव नरेश मालव ने बताया कि 24 अप्रेल 1924 को एआईआरएफ की स्थापना हुई थी तब से लगातार मजदूरों के हकों की लड़ाई यूनियन एवं फेडरेशन लड़ती आ रही है तथा काम के घंटे, बोनस, मंहगाई भत्ता जैसी कई सुविधाए फेडरेशन के संघर्ष का नतीजा रही है। 1960, 1968 एवं 1974 की ऐतिहासिक रेल हड़तालों ने एआईआरएफ को रेल मजदूरों की सबसे विश्वसनीय एवं अग्रणी फेडरेशन के रूप में स्थापित किया। अपने गौरवशाली अतीत एवं मजदूरों की हितेशी लीडरशीप के लिए जानी जाने वाली

- **रेलकर्मचारी वर्चुअल माध्यम से समारोह से जुड़े**
- **इस अवसर पर शताब्दी महोत्सव का लोगो भी लांच किया**

फेडरेशन के शताब्दी वर्ष में प्रवेश करने की खुशी को फेडरेशन से जुड़ी सभी यूनियनों एवं रेल कर्मचारियों ने भव्य उत्सव के रूप में मनाया।

मुख्य कार्यक्रम आईटीएफ के लंदन स्थित कार्यालय में हुए जहां से भारत में देश भर के रेलकर्मचारी वर्चुअल माध्यम से समारोह से जुड़े इस अवसर पर शताब्दी महोत्सव का लोगो भी लांच किया गया। जिसमें एआईआरएफ के महामंत्री कॉ.शिवगोपाल मिश्रा, अध्यक्ष कॉ.एन कन्हैया, रेल मंत्री अश्वनी वेष्णव, रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष ए.के. लोहानी, आईटीएफ के प्रसिडेन्ट पेडीक्रुमलीन, आईटीएफ रेल सेक्शन के अध्यक्ष डेविड गोबे, आईटीएफ के महामंत्री स्टीफन कोटन सहित अन्य नेताओं ने सम्बोधित कर शुभकामनाए प्रेषित की इस अवसर पर देशभर के सभी यूनियन कार्यालयों पर विद्युत सज्जा की गई एवं हर्ष के साथ लोगो ने एक दूसरे का मिठाई खिलाकर खुशी व्यक्त की।

फेडरेशन से जुड़ी वेस्ट सेन्ट्रल रेलवे एम्पलॉईज यूनियन के महामंत्री कॉ.मुकेश गालव की अगुवाई में सैकड़ों रेल कर्मचारी कोटा मण्डल के यूनियन कार्यालय से वर्चुअल माध्यम से शताब्दी समारोह से जुड़े तथा कार्यालय में नारेबाजी कर हर्ष व्यक्त किया गया। इस अवसर जोनल कोषाध्यक्ष कॉ.इरशाद खान, मण्डल उपाध्यक्ष अजय शर्मा, सहा.मण्डल सचिव नरेश मालव, सहित सैकड़ों कार्यकर्ता उपस्थिति रहे।

कोटा मण्डल में सवाईमाधोपुर यूनियन कार्यालय में मण्डल अध्यक्ष लोकेन्द्र मीना, गंगापुर में नरेन्द जैन, तुगलाकाबाद में विकास शर्मा, जबलपुर में रोमेश मिश्रा एवं बी.एन शुक्ला तथा भोपाल में जोनल अध्यक्ष फिलिप ऑमन के नेतृत्व में यूनियन कार्यालयों में सजावट कर मीटिंग का आयोजन करते हुए शताब्दी महोत्सव की शुरूआत की गई। यूनियन के महामंत्री कॉ.मुकेश गालव ने बताया कि शताब्दी महोत्सव में वर्ष भर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित कर इसे ऐतिहासिक बनाया जायेगा। एआईआरएफ द्वारा इस सताब्दी महोत्सव को पुरानी पेंशन बहाली एवं रेल से निजीकरण को समाप्त करने के संकल्प के साथ मनाने का आवहान किया गया है।

सहायक आचार्य ममता चौधरी ने पहने दो खूबसूरती के ताज

कोटा, (निसं)। कोटा शहर में कोटा कोचिंग, स्टोन और कचौरी से आगे बढ़कर अपनी खूबसूरती के लिए देश-विदेश में अपना नाम कमा रहा है। कोटा की बेटी नंदिनी गुप्ता ने मिस इंडिया 2023 का खिताब अपने नाम कर भारत के मानचित्र पर कोटा का गौरवान्वित किया था। जानकी देवी बजाज राजकीय कन्या महाविद्यालय कोटा में वनस्पति शास्त्र विभाग में सहायक आचार्य पद पर कार्यरत कोटा की बहु डा. ममता चौधरी ने वॉंगस्टार फैशन वीक तथा ब्यूटी पेजेंट का ग्रैंड फिनाले में अपना परचम लहराया है। जयपुर में आयोजित इस ब्यूटी प्रतियोगिता में कोटा सहायक आर्चाय चौधरी ने डॉ. ममता चौधरी ने दो ताज जीते पहला वांग स्टार मिसेज इंडिया कोटा विनर तथा वॉंगस्टार इंडिया फर्स्ट रनर अप, राजस्थान का खिताब अपने नाम किया है। इस ब्यूटी पेजेंट में 28 राज्यों में 8 केंद्र शासित प्रदेशों 12 सौ महिलाओं का पंजीकरण हुआ जिसमें 700 प्रतिभागियों का चयन कर प्रशिक्षित किया गया तथा ग्रैंड फिनाले में 80 प्रतिभागियों ने अपनी खूबसूरत, अदाओं और आत्मविश्वास का परिचय दिया। डॉक्टर ममता चौधरी के दो ताज अपने नाम करने पर कोटा में प्रसन्नता है। इस अवसर पर प्राचार्य डॉ संजय भार्गव व महाविद्यालय सदस्यों द्वारा डॉ. ममता चौधरी का सम्मान किया गया। अपनी जीत पर ममता चौधरी ने कहा कि हर महिला खूबसूरत व अपने आप में अनूठी है।

कहानी उत्सव संपन्न

कोटा, (निसं)। कोटा विश्वविद्यालय के कौशल विकास केंद्र की ओर से मंगलवार को केन्द्र परिसर में एक दिवसीय कहानी उत्सव आयोजित किया गया। जिसमें विश्वविद्यालय की कंट्रोलर पूनम मेहता ने स्टोरी टेलिंग बैक टू द चाइल्डहुड विषय पर संबोधित किया। उन्होंने शैतानों की खोज, अनोखा दोस्त, विश्वास की जीत, मन का विभेद, स्पेशल प्राइज सरीखी मनोरंजनात्मक और शिक्षाप्रद स्वरचित कहानियां भी अनोखे ढंग से प्रस्तुत की।

उन्होंने कहा कि कहानी सुनाना, सीखने- सिखाने की सबसे पुरानी और शक्तिशाली विधि है। दुनिया भर की संस्कृतियों ने हमेशा से ही विश्वास, परंपराओं और इतिहास को भविष्य की पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए कथाओं और कहानियों का उपयोग किया है। कहानियां कल्पनाशीलता को बढ़ाती हैं। कहानी कहने और सुनने वाले के बीच समझ स्थापित करने के लिए सेतु का काम करती है। कहानी बहुसांस्कृतिक समाज में श्रोताओं के लिए समान आधार तैयार करती है। कौशल विकास केंद्र की डायरेक्टर डॉ. अनुकृति शर्मा ने कहा कि कहानी सुनाने का उद्देश्य मनोरंजन के साथ साथ समसामयिक जीवन को समझना भी है। कहानी में अपनी भूमिका को देखने, पात्रों के बारे में चर्चा के माध्यम से विभिन्न परिस्थितियों को समझने का अवसर मिलता है। कहानी के माध्यम से उसी के अनुसार व्यवहार करने की समझ दीर्घकाल में विकसित करना होता है। कहानी सुनने का आनंद सर्वोच्च है। बाकी सारी चीज़ें अनायास ही एक सार्थक प्रयास से पूरी होती जाती है। मनुष्य में मौखिक भाषा के उपयोग से सिखाने, समझाने और मनोरंजन करने की स्वाभाविक क्षमता होती है। इसी कारण से कहानी का उपयोग रोजमर्रा की जिंदगी में बेहद प्रचलित है।

सह समन्वयक डॉ पायल दीक्षित ने कहा कि भारत के बहुसांस्कृतिक समाज में, कहानी स्कूलों में शिक्षण शास्त्र का एक सशक्त माध्यम हो सकती हैं। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा इस बात की अनुशंसा करती है कि स्कूली ज्ञान को समुदाय के ज्ञान से जोड़ा जाए। विभिन्न समुदायों में ज्ञान के संसाधन के रूप में प्रचलित कहानियां, स्कूल को समुदाय से जोड़ने का एक अच्छा साधन है। यूनिवर्सिटी ऑफ़ कोटा के छात्र संघ अध्यक्ष अजय पारेता ने इस प्रकार के प्रोग्राम्स और वर्कशॉप आने वाले समय में और कराई जाने की बात रखी साथ ही अपने विचार रखते हुए कहा की कहानियाँ बच्चों को समूह में चुप्पी तोड़ने, समुदाय से सीखने, कहानी लिखने, कहानी की घटनाओं पर आधारित रचनात्मक चित्र बनाने और अर्थपूर्ण सीखने के अनुभव बनाने के लिए प्रेरित करती हैं।

स्कूलों में यह महत्वपूर्ण विधा बच्चों के लिए उपयोगी शिक्षा उपकरण है। कहानी के उपयोग से विषयों में भी रोचकता आ जाती है। भाषा का कहानी कहने की कला से स्वाभाविक जुड़ाव होता है। दूसरे विषयों में भी कहानी के उपयोग से जांच पड़ताल या खोजबीन का काम किया जा सकता है। इस अवसर पर वाणिज्य विभाग की डॉ नीता पारीक डॉ. श्रुति अरोड़ा डॉ. प्रिया चौधरी समेत शैक्षणिक व अशैक्षणिक कर्मी उपस्थित रहे। समीक्षा दीक्षित आदि स्टूडेंट्स ने अपना फीडबैक दिया।

कार्यालय नगर विकास न्यास, कोटा

क्रमांक:-एफ11/विक्रय/2023/1362 — दिनांक:-24.3.23

नाम हस्तान्तरण चाहने बाबत आम सूचना

नगर विकास न्यास कोटा द्वारा राजीव गांधी नगर स्पेशल आवासीय योजना के भूखंड संख्या 461 का दिनांक 17.01.2020 को श्री राजेश मित्तल पुत्र स्व. श्री चांदमल मित्तल के नाम आवंटन किया गया था। श्री राजेश मित्तल पुत्र स्व. श्री चांदमल मित्तल द्वारा उक्त भूखंड जर्ये मुख्तारआम श्रीमती वंदना कुमारी प्रजापति पत्नी श्री पंकज कुमार द्वारा जर्ये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 11.05.2021 को श्रीमती रश्मि बांठिया पत्नी श्री संजय कुमार बांठिया को विक्रय कर दिया गया है। अत: श्रीमती रश्मि बांठिया पत्नी श्री संजय कुमार बांठिया द्वारा उक्त भूखंड का स्वामित्व अपने नाम से नामहस्तान्तरण करने हेतु न्यास में आवेदन प्रस्तुत किया गया है।

अत: जरीये आम सूचित किया जाता है कि यदि इस नाम हस्तान्तरण की स्वीकृति देने में किसी को भी कोई ऐतराज हो तो विज्ञप्ति जारी होने के 7 दिवस के अन्दर अन्दर अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर दें, अन्यथा मियाद गुजरने के पश्चात उक्त भूखंड संख्या 461 राजीव गांधी नगर स्पेशल आवासीय योजना का नामहस्तान्तरण श्रीमती रश्मि बांठिया पत्नी श्री संजय कुमार बांठिया के नाम स्वीकृति जारी कर दी जावेगी।

उपसचिव नगर विकास न्यास, कोटा

कार्यालय नगर पालिका रावतभाटा, जिला -चित्तौड़गढ़ (राज.)

क्रमांक/नपारा/भूमि/2023-24/220 — आपत्ति सूचना — दिनांक:-25.4.23

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है, कि नगर पालिका रावतभाटा द्वारा आवेदक श्री कुलविन्दर सिंह धन्जल पिता श्री सोहन सिंह धन्जल निवासी रावतभाटा के गैर योजना क्षेत्र 372, नया बाजार, पूर्व वार्ड नं. 24, रावतभाटा में स्थित आवासीय उपयोग का दिनांक 15.08.2009 से पूर्व के निर्मित भूखण्ड के कब्जे की भूमि का नियमन प्रशासन शहरो के संग अभियान 2012-13 अन्तर्गत इस हेतु राज्य सरकार द्वारा जारी किये गये आदेशो के तहत् मौके की स्थिति के अनुरूप उपलब्ध पहुंच मार्ग के अनुसार नियमन/आंवटन नगर पालिका अधिनियम 2009 एवं राजस्थान नगर पालिका नगरीय भूमि निष्पादन नियम 1974 के प्रावधानो के तहत् नियमन किया जाकर भूमि/भवन संख्या 263 पट्टा क्रमांक 263 दिनांक 30.07.2013 से आवासीय निर्मित क्षेत्रफल 2000 वर्गफीट अर्थात् 222.22 वर्गगज का जारी किया गया, जिसका पंजीयन दिनांक 10.09.2013 को आवेदक आवंटी के पक्ष में करवाया गया है। जिन स्वामित्व अधिकारों के तहत उक्त भूखण्डधारी इस निर्मित नियमनशुद्धा आवासीय भूखण्ड को बेचान करना चाहता है। जिसकी अनुमति इस कार्यालय से चाही गई है।

उपरोक्त नियमनशुद्धा प्रकरण में रावतभाटा के अनुमोदित मास्टर प्लान के अन्तर्गत इस क्षेत्र के स्वीकृत किये गये ले-आउट प्लान के अनुरूप मार्गाधिकार सीमा भविष्य में छुडवाया जाना लागू किये जाने पर नियमन व पट्टे की शर्तो के अनुसार कार्यवाही अमल में लाई जा सकेगी। जिसको मानने के लिए अन्तरिती बाध्य होगा तथा उपरोक्त नियमनधारी भविष्य में रियायत दर पर किसी भी प्रकार का आंवटन/नियमन का हकदार नहीं होगा।

अत: उपरोक्त भूमि/भवन को विक्रय /गिफ्ट/ अन्यथा अन्तरण करने की आवेदक/ नियमनधारी को इस कार्यालय द्वारा अनुमति जारी किये जाने में यदि किसी व्यक्ति/संस्था/विभाग /बैंक आदि को कोई उजर या आपत्ति हो, तो वे इस आपत्ति सूचना प्रकाशन से 07 दिवस के अन्दर मियाद में अपनी आपत्ति इस कार्यालय में लिखित में मय दस्तावेजी सबूत के साथ प्रस्तुत कर सकते है, अन्यथा बाद मियाद प्राप्त किसी प्रकार की कोई आपत्ति मान्य नहीं होगी। सूचित रहे!

अधिशाषी अधिकारी नगर पालिका रावतभाटा

कार्यालय नगर पालिका रावतभाटा, जिला -चित्तौड़गढ़ (राज.)

क्रमांक/नपारा/भूमि/2023-24/216 — आपत्ति सूचना — दिनांक:-25.4.23

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है, कि नगर पालिका रावतभाटा द्वारा आवेदक श्री सोहन सिंह धन्जल पिता श्री गुरवचन सिंह धन्जल निवासी रावतभाटा के गैर योजना क्षेत्र 376, नया बाजार, पूर्व वार्ड नं. 24, रावतभाटा में स्थित आवासीय उपयोग का दिनांक 15.08.2009 से पूर्व के निर्मित भूखण्ड के कब्जे की भूमि का नियमन प्रशासन शहरो के संग अभियान 2012-13 अन्तर्गत इस हेतु राज्य सरकार द्वारा जारी किये गये आदेशो के तहत् मौके की स्थिति के अनुरूप उपलब्ध पहुंच मार्ग के अनुसार नियमन/आंवटन नगर पालिका अधिनियम 2009 एवं राजस्थान नगर पालिका नगरीय भूमि निष्पादन नियम 1974 के प्रावधानो के तहत् नियमन किया जाकर भूमि/भवन संख्या 264 पट्टा क्रमांक 264 दिनांक 30.07.2013 से आवासीय निर्मित क्षेत्रफल 2000 वर्गफीट अर्थात् 222.22 वर्गगज का जारी किया गया, जिसका पंजीयन दिनांक 09.10.2013 को आवेदक आवंटी के पक्ष में करवाया गया है। जिन स्वामित्व अधिकारों के तहत उक्त भूखण्डधारी इस निर्मित नियमनशुद्धा आवासीय भूखण्ड को बेचान करना चाहता है। जिसकी अनुमति इस कार्यालय से चाही गई है।

उपरोक्त नियमनशुद्धा प्रकरण में रावतभाटा के अनुमोदित मास्टर प्लान के अन्तर्गत इस क्षेत्र के स्वीकृत किये गये ले-आउट प्लान के अनुरूप मार्गाधिकार सीमा भविष्य में छुडवाया जाना लागू किये जाने पर नियमन व पट्टे की शर्तो के अनुसार कार्यवाही अमल में लाई जा सकेगी। जिसको मानने के लिए अन्तरिती बाध्य होगा तथा उपरोक्त नियमनधारी भविष्य में रियायत दर पर किसी भी प्रकार का आंवटन/नियमन का हकदार नहीं होगा।

अत: उपरोक्त भूमि/भवन को विक्रय /गिफ्ट/ अन्यथा अन्तरण करने की आवेदक/ नियमनधारी को इस कार्यालय द्वारा अनुमति जारी किये जाने में यदि किसी व्यक्ति/संस्था/विभाग /बैंक आदि को कोई उजर या आपत्ति हो, तो वे इस आपत्ति सूचना प्रकाशन से 07 दिवस के अन्दर मियाद में अपनी आपत्ति इस कार्यालय में लिखित में मय दस्तावेजी सबूत के साथ प्रस्तुत कर सकते है, अन्यथा बाद मियाद प्राप्त किसी प्रकार की कोई आपत्ति मान्य नहीं होगी। सूचित रहे!

अधिशाषी अधिकारी नगर पालिका रावतभाटा

कार्यालय नगर विकास न्यास, कोटा

क्रमांक: एफ-11/विक्रय/2023/813 — दि.25.04.2023

विज्ञप्ति

नगर विकास न्यास, कोटा की योजना श्रीनाथपुरम-डी आवासीय कम व्यवसायिक का भूखण्ड संख्या 88 कार्नर को आवंटन न्यास के पत्र दि.31.5.2021 को श्री पंकज मालव पुत्र श्री रामभरोस मालव को आवंटन किया गया था। उक्त भूखण्ड की रजिस्ट्री जर्ये मुख्तारआम श्री रामभरोस मालव पुत्र श्री मूलचन्द मालव द्वारा नगर विकास न्यास कोटा से चाही जा रही है।

अतः जरिये आम सूचित किया जाता है कि यदि इस रजिस्ट्री की स्वीकृति देने मे किसी को कोई ऐतराज हो तो विज्ञप्ति जारी होने के 7 दिवस के अन्दर-अन्दर अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर दें, अन्यथा मियाद गुजरने के पश्चात् उक्त भूखण्ड संख्या 88 कार्नर योजना श्रीनाथपुरम-डी आवासीय कम व्यवसायिक की रजिस्ट्री स्वीकृति श्री पंकज मालव पुत्र श्री रामभरोस मालव जर्ये मुख्तारआम श्री रामभरोस मालव पुत्र श्री मूलचन्द मालव के नाम जारी कर दी जावेगी।

उप सचिव नगर विकास न्यास कोटा

PUBLIC NOTICE

It is for general information that I was previously known as Shivali Singh D/o Vijay Singh R/O A 810 Subh Atlantis, Swami Vivekananda Nagar and after being diagnosed with Gender Dysphoria under the supervision of registered medical practitioner in Kota, have changed my gender as Male.

I henceforth be known as Shiv Thakur S/o Vijay Singh R/O A 810 Subh Atlantis, Swami Vivekananda Nagar. It is certified that I have complied with other legal requirements in the connection.

(Shivali Singh)

मोटिवेशनल सेशन

कोटा, (निसं)। जेईई-मेन के एग्जाम खत्म होने के बाद अब जेईई-एडवांस्ड की परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू होने को हैं। ऐसे में एडवांस्ड की तैयारी को लेकर टिप्स देने के लिए रिलायबल इंस्टीट्यूट में मोटिवेशनल सेशन आयोजित किया गया। इस सेशन में मैथ्स के एचओडी आयुष गोयल ने बताया कि रिवीजन पर ध्यान दिया जाना चाहिए। मैथ्स में महत्वपूर्ण टॉपिक्स के बारे में जानकारी दी तथा जेईई-एडवांस्ड में कितनी तरह के सवाल आते हैं इसकी जानकारी दी गई। फीजिक्स के एचओडी चन्द्रशेखर शर्मा ने अपने अनुभव को साझा करते हुए कहा कि पुरानी परीक्षाओं के आधार पर बच्चों को रैंक की तैयारी करनी चाहिऐं। मुख्य टॉपिक्स को देखें और सवाल को हल करने के तरीके सीखें। समय की बचत और पेपर हल करने का तरीका बहुत उपयोगी साबित होगा।

नवनियुक्त प्रोफेसर का सम्मान किया

कोटा, (निसं)। राजकीय महाविद्यालय कोटा में छात्र संघ उपाध्यक्ष स्वदेश सिंह सोलंकी एवं संयुक्त सचिव आवेश खत्री के नेतृत्व में प्रोफेसर पद पर पदोन्नत हुए महाविद्यालय के शिक्षकों का ढोल नगाड़ों, फूल मालाओं से सम्मान किया गया एवं समस्त शिक्षकों का मुंह मीठा करवाया गया। संयुक्त सचिव आवेश खत्री ने बताया कि काफी समय बाद महाविद्यालय में इस प्रकार की खुशी आई है जिसमें महाविद्यालय के 30 शिक्षक प्रोफेसर पद पर पदोन्नत हुए इससे महाविद्यालय में रिसर्च करने वाले विद्यार्थियों को काफी सुविधा प्राप्त होगी एवं महाविद्यालय का एवं यहां पढ़ने वाले विद्यार्थियों को उन्नति प्राप्त होगी। पूर्व छात्र संघ उपाध्यक्ष अविनाश मलाव, सोनम सोनी, पूजन गौतम, आनंद मालव, राहुल नागर, मयंक सोनी, दिवाकर सिंह, आयुष्मान, प्रियंका देवनाथ, उर्वशी,बालकिशन, अंशुल, विनय आदि छात्र छात्रा मौजूद थे।

राजकीय महाविद्यालय कोटा में नवनियुक्त प्रोफेसरों का अभिनन्दन किया गया।

कार्यालय नगर पालिका रावतभाटा, जिला -चित्तौड़गढ़ (राज.)

क्रमांक/नपारा/भूमि/2023-24/203 — सार्वजनिक आपत्ति सूचना — दिनांक:-21.4.23

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि श्री सुरेशचन्द्र वधवा पिता श्री त्रिलोकचन्द वधवा निवासी रावतभाटा के द्वारा नया बाजार भूमि आंवटन समिति की ओर से आवंटित भूखंड संख्या 252 क्षेत्रफल 2000 वर्गफीट नया बाजार आवासीय योजना रावतभाटा पर निर्मित भवन के उप विभाजन का अनुमोदन/स्वीकृत एवं बाद उप विभाजन नामान्तरण दर्ज करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है, जो कि नया बाजार आवंटन समिति रावतभाटा के द्वारा श्री मसूद अली खॉ पिता श्री महमूद अली खॉ निवासी रावतभाटा को इकरारनामा के तहत लीज होल्ड के आधार पर दिनांक 20.08.1983 के अंतर्गत लाईसेन्स (पट्टा) क्रमांक 2183 दिनांक 20.08.1983 से आवासीय प्रयोजनार्थ इकरारनामे में उल्लेखित शर्तो के अधीन आवंटित किया गया था, जिसका पंजीयन होना पाया गया है परन्तु पंजीयन की दिनांक नहीं दर्शायी गयी है। जिसके उपरांत मूल आवंटी के द्वारा उक्त भूखंड/निर्मित भवन के आधे भाग/हिस्से को जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र से दिनांक 09.03.1988 से श्री बारीया बाबुलाल हिराभाई पिता श्री बारीया हिराभाई नगाभाई निवासी रावतभाटा को विक्रय किया गया। इसके उपरांत श्री बारीया बाबुलाल हिराभाई ने उक्त आधा भूखंड जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 19.04.1994 से श्री श्याम किशोरजी दुबे पिता श्री बृज किशोर दुबे निवासी रावतभाटा को विक्रय किया गया। इसके उपरांत श्री श्याम किशोरजी दुबे ने उक्त आधा भूखंड को जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 29.01.2007 से आवेदक को हस्तान्तरित किया गया है, जिसके वर्तमान पड़ौस से प्रकार से है-पूर्व में-प्लॉट नं. 251, पश्चिम में-मकान नं. 252 का शेष भाग, उत्तर में-नया बाजार गली व दक्षिण में-मैन रोड नया बाजार।

प्राप्त स्वामित्व के अधिकारों के तहत आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन में विक्रय पत्र अनुसार संलग्न उपविभाजन प्लान अनुसार उक्त भूखंड/निर्मित भवन का उपविभाजन अनुमोदन/स्वीकृत एवं नामान्तरण स्वयं के पक्ष में चाहा गया है, प्रस्तुत दस्तावेजों एवं विभागीय आदेशों के तहत उक्त भूखंड का उपविभाजन अनुमोदन/स्वीकृत एवं नामान्तरण आवेदकों के पक्ष में इस कार्यालय द्वारा किया जाना प्रस्तावित है। उक्त प्रस्तावित कार्यवाही अन्तर्गत किसी भी व्यक्ति/विभाग/संस्था/बैंक इत्यादि को किसी प्रकार की कोई आपत्ति हो तो इस प्रकाशन से 07 (सात) दिवस के भीतर भीतर अद्योहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में मय साक्ष्य सबूत के अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। आपत्ति अवधि समाप्त होने के पश्चात कोई आपत्ति मान्य नहीं होगी। सूचित रहे।

अधिशाषी अधिकारी नगर पालिका रावतभाटा